International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत–भूटान सम्बन्ध

डॉ. प्रशान्त पंवार

वरिष्ठ व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)

राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,

जोधपुर (राज.)

भूटान, भारत और चीन (तिब्बत) के बीच स्थित एक भू आवेष्ठित (लैण्ड लॉक्ड) देश है। इस देश का स्थानीय नाम डुगयुल (ड्रेगन) है। यहां रहने वाले लोगों को डुगपा कहा जाता है। भूटान का प्राचीन इतिहास ज्ञात नहीं है केवल मिथकों के रूप में प्रचलन में है। लोक कथाओं के अनुसार भूटान पर 7वीं सदी ई.पू. में कूच बिहार के राजा का अधिकार था। बौद्ध धर्म ने यहां प्रवेश करने से पूर्व का इतिहास अज्ञात ही है। बौद्ध धर्म यहां सर्वप्रथम 7वीं सदी में तिब्बत के राजा सोंगत्सान गाम्पो के शासनकाल में आया।[1]

कूच बिहार समझौते के अनुसार ब्रिटिश सेना यहां सर्वप्रथम 1772–73 ई. में पहुंची। भूटान के तत्कालोन प्रशासक ड्रक देसी ने 25 अप्रेल, 1774 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ शांति संधि कर ली। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश इण्डिया और भूटान के व्यापारिक सम्बन्ध आरम्भ हुए और भूटान ने कई प्रदेश ब्रिटेन को सौंप दिये। 11 नवम्बर, 1865 ई. में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिनचुला संधि हुई जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती भाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया गया।

ब्रिटेन ने 1907 में भूटान में राजशाही की स्थापना की, उग्येन वांग्चुक को भूटान का पहला राजा बनाया गया। इसके बाद ब्रिटेन–भूटान के बीच समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन भूटान की विदेश नीति ब्रिटेन द्वारा तय की जाएगी। स्वतंत्रता के बाद यही भूमिका भारत को मिली। ब्रिटेन द्वारा की गई इस संधि को पुनरवा संधि (1910) कहते हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत को राजनीतिक मान्यता देने वाला प्रथम देश भूटान था तब से भूटान भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र है। भारतीय रूपये को भूटान में वैधानिक मान्यता है। दोनों देशों के बीच 700 कि.मी. खुली सीमा है जिससे मुक्त व्यापार और पारगमन होता है। भारत की प्रतिरक्षा में भी भूटान का अत्यधिक महत्त्व है। भारत की उत्तरी सीमा की प्रतिरक्षा व्यवस्था में भूटान को भेद्यांग (।बीपससमे ीममस) की संज्ञा दी जाती है,[2] भेद्यांग या एचिल्स हील पांव की एड़ी का एक रोग है जिसमें इतना दर्द हो जाता है कि व्यक्ति अपने पांवों पर खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार भूटान के बिना भारत अपनी उत्तरी सीमा पर खड़ा नहीं रह सकता।

भारत–भूटान मैत्री संधि (1949) –

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त, 1949 को दार्जिलिंग में शांति और मित्रता की संधि की गई। इस संधि को भूटान की विदेश नीति के तौर पर देखा जाता है। इस संधि में 10 अनुच्छेद है जो कि इस प्रकार है – [3]

- अनुच्छेद 1 – भारत सरकार और भूटान सरकार के मध्य चिरस्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी।
- अनुच्छेद 2 – भारत सरकार वचन देती है कि वह भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी इसके बदले भूटान सरकार यह वचन देती है कि वह अपने वैदेशिक मामले भारत सरकार के परामर्श के अनुसार संचालित करेगी।
- अनुच्छेद 3 – भारत भूटान को सिनचुला संधि और पुनरवा संधि के अनुसार आर्थिक सहायता देना जारी रखेगा।
- अनुच्छेद 4 – भारत सरकार वचन देती है कि वह इस संधि के हस्ताक्षर होने में एक वर्ष के भीतर भूटान को लगभग 32 वर्ग मील का क्षेत्र जो दीवानगिरी के नाम से जाना जाता है, लौटा देगा।
- अनुच्छेद 5 – भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य सम्बन्ध कायम रहेगें।
- अनुच्छेद 6 – भूटान भारत से अपनी प्रादेशिक सुरक्षा के लिए हथियार, गोला बारूद, युद्ध सामग्री इत्यादि आयात कर सकेगा।
- अनुच्छेद 7 – भारत सरकार और भूटान सरकार इस बात पर सहमत है कि भारत में रह रहे भूटानी नागरिक और भूटान में रह रहे भारतीय नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
- अनुच्छेद 8 – भूटान में भारतीय प्रत्यर्पण कानून, 1903 प्रभावी रहेगा।
- अनुच्छेद 9 – इस संधि के अनुप्रयोग और विश्लेषण के दौरान उत्पन्न विवादों और मतभेदों को आपसी बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा।
- अनुच्छेद 10 – यह संधि चिरकाल तक लागू रहेगी बशर्ते इसे आपसी सहमति से रद्द या संशोधित ना किया जाए। इस प्रकार 1949 की संधि द्वारा भारत ने भूटान को अपना संरक्षित राज्य बनाया।

इस संधि के विरोधियों का कहना है कि भूटान को भारत के हाथों बेच दिया गया है। टाइम्स ने लिखा है कि ''सन् 1949 की संधि में प्रयुक्त मार्ग निर्देशन हेतु सहमत होना खण्ड वाक्य को भावानुवादित अलंकरण और अपरिष्कृत प्रतीकों में लिखा गया है तथा अधिकांश अन्वेषकों को यह समझने में भ्रम नहीं होगा कि भूटान ने अपनी विदेश नीति में भारत को हुक्म चलाने का अधिकार सौंप दिया है। ''

चीन–भूटान सीमा विवाद और भारत –

चीन के माओ ने अपनी विस्तारवादी सांस्कृतिक क्रांति, सतत क्रांति एवं ''सैकड़ों फूल खिलने दो'' की नीति के तहत 1950 में दशक से ही भूटान में रूचि लेनी आरम्भ कर दी। 1954 में साम्यवादी चीन ने अपनी पुस्तक 'द ब्रीफ हिस्ट्री

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

ऑफ मॉर्डन चाइना' में भूटान को अपने खोये हुए राज्य की संज्ञा दी। चीन की पत्रिका 'चाईना फिक्टोरियल' ने 1958 में चीन के मानचित्र में भूटान का एक बड़ा हिस्सा दर्शाया जिस पर भारत सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई।

इस बारे में 22 मार्च, 1959 को नेहरू ने चाऊ–एन–लाई को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया – भूटानी भू भाग को चीन के द्वारा अपना हिस्सा बताना भारत और चीन के मध्य की गई संधियों व समझौतों के खिलाफ है इसका प्रति उत्तर चाऊ–एन–लाई ने ये कहकर दिया कि चीन व भूटान के विवाद भारत और चीन के आपसी सम्बन्धों के दायरे से बाहर आते हैं और चीन ने हमेशा भारत व भूटान के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया है।[4]

नेहरू ने सितम्बर, 1958 में भूटान की यात्रा की और वहां पर संचार के विकास तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रम आरम्भ किए। इसी समय चीन का भी विस्तारवादी अभियान जारी था। इसी बात को लेकर 28 अगस्त, 1959 को नेहरू ने लोकसभा मे कहा कि ''भूटान या सिक्किम पर किया गया कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा।''[5] 1959 में चीन से तिब्बत में आठ भूटानी क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया ये क्षेत्र लगभग 300 वर्षों से भूटानी शासन के अन्तर्गत थे अतः भूटान का रूख मजबूरी में भारत की तरफ झुक गया। इसके बाद दलाई लामा का भारत में शरण लेना और भूटान की सीमा पर चीन की सेना का जमाव होना, भूटान के लिए चेतावनी भरा कदम था। तिब्बत से हजारों की संख्या में लोग भारत और भूटान की तरफ विस्थापित हुए इसके कारण भूटान में कई नई राजनीतिक और सामाजिक समस्या ने जन्म ले लिया क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण विस्थापित तिब्बती शरणार्थियों ने भूटान की नागरिकता लेने से इन्कार कर दिया।

1960 के बाद चीन ने यह घोषणा की कि भूटान सहित सभी हिमालयी सीमावर्ती राज्य जो कि भारत द्वारा अवैधानिक रूप से अपने पास रखे गए हैं, उन्हें आजाद किया जाए। चीन की इस घोषणा का प्रभाव वर्ष 1960 में भूटान की नेशनल असेम्बली में दो दिनों तक रक्षा एवं विदेशी मामलों के वार्तालाप में देखा जा सकता है। भूटान ने भारत सरकार को एक सीलबन्द पत्र भेजा जिसमें चीन द्वारा किए जाने वाल आक्रमण के फलस्वरूप भारत से मदद करने को कहा गया। भूटान के नरेश ने 16 मार्च, 1960 को घोषणा की कि ''चीन द्वारा मैकमोहन लाइन को भारत व चीन के बीच सीमा रेखा न मानकर भूटान की सुरक्षा के लिए चिन्ताएं खड़ी कर दी है।''

भारतीय मदद के द्वारा भूटान में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों, सड़क परियोजनाओं और आर्थिक मदद को चीन ने सन्देह की दृष्टि से देखा और तिब्बत–भूटान की सीमा पर चीन ने अपनी सेना का जमाव बढ़ा दिया। 1962 में चीन में टोही विमानों ने चार बार भूटानी वायु सीमा का उल्लंघन कर जासूरी भी की। भारत द्वारा विरोध करने पर उल्टे चीन भारत से ही उलझ गया। 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत और भूटान ने एक साथ आपातकाल घोषित किया। इस युद्ध में भूटान पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा। 1962 के भारत–चीन युद्ध में चीन ने भूटान के 340 वर्ग किमी. क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तब से आज तक भूटान इस क्षेत्र को वापस लेने के प्रयास कर रहा है। चीन का कहना है कि 'दि क्लान मैदान' ही वह स्थान है जिसके कारण चीन का भूटान के साथ विवाद है। यह मैदान एक ट्राइजंक्शन है जहां चीन, भूटान और सिक्किम (भारत) की सीमाए मिलती हैं। चीन कहता है कि इस मैदान का उपयोग

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

उसके चरवाहे पीढ़ियों से कर रहे हैं जबकि भारत का कहना है कि चीन ने इस पर घुसपैठ कर नाजायज कब्जा कर लिया है। भूटानी नरेश कहते हैं कि ''माओ की लाल किताब को भूटान की जमीन पर जबरदस्ती गिराया जा रहा है और भूटान सेना द्वारा इसे प्राप्त करने पर जला दिया जाएगा।''[6]

1970 में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया और भारत के प्रयासों से भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। 1971 के भारत–पाक युद्ध में भूटान ने पूरी तरह भारत का साथ दिया और तुरन्त बांग्लादेश को राजनीतिक मान्यता दी।

1972 में भूटान को भारत के सहयोग से एशिया आर्थिक, सामाजिक आयोग का सदस्य बनाया गया। 1975 में सिक्किम ने भारत में विलय पर भूटान शांत रहा और भारत ने भूटान की इस नीति का स्वागत किया। 1972 में भूटानी नरेश की मृत्यु के बाद दोरजी जिग्मे सिंगचे वांग्चुक नए नरेश बने इसकी ताजपोशी समारोह में सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। दिसम्बर, 1974 में नवीन नरेश ने भारत की यात्रा की और दोनों देशों ने आपसी सहयोग के कई समझाते किए।[7] 1977 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार के समय नरेश पुनः भारत दौरे पर आये बाद में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवम्बर, 1977 में भूटान की यात्रा की और दोनों देशों ने आपसी सहयोग के कई क्षेत्रों में आदान–प्रदान मजबूत करने के समझौते किये। अगस्त, 1978 में नई दिल्ली में भूटानी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया गया। जनता पार्टी शासनकाल में भारत–भूटान के बीच एक व्यापार समझौता भी हुआ जिसके अनुसार भूटान अपनी निर्यात योग्य वस्तुओं को भारत द्वारा खरीदने में असमर्थ रहने पर अन्य दश को बेच सकेगा।[8]

सितम्बर, 1979 में हवाना में आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भूटानी नरेश ने भारत के निर्देशों को दरकिनार कर खुलेआम यह कहा कि भूटान 1949 की संधि का पुनरावलोकन चाहता है लेकिन जल्दी ही भारत में इन्दिरा गांधी के शासन की 1980 में स्थापना होते ही भूटान हवा का रूख देखकर वापस भारत की तरफ झुक गया और पुनरावलोकन की बात छोड़ दी।[9] जून, 1981 में विदेश मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव भूटान गए। इस यात्रा में पारो से कलकत्ता तक अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा आरम्भ करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आसाम और पश्चिम बंगाल में भूटानी सीमा पर खम्बे लगाने का कार्य आरम्भ हुआ और भारत ने भूटान में रह रहे कई तिब्बती शरणार्थियों को भारत में लेना स्वीकार किया।[10]

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 7 से 11 मार्च, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसके दौरान भी भारत–भूटान के बीच कई समझौते सम्पन्न किए गए। 1983 में भूटान और भारत के बीच एक नया व्यापारिक समझौता हुआ जिसमें नियमों में ढ़ील दी गई, जिसके कारण अब भूटान के कई देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं।[11] 1984 में दानों देशों के बीच दूरसंचार और माइक्रोवेव स्टेशनों की स्थापना की गई। 1984 में ही भूटान का प्रतिनिधि मण्डल पहली बार चीन दौरे पर गया।[12]

प्रधानमंत्री राजीव गांधी 30 दिसम्बर, 1985 को भूटान यात्रा पर गए जहाँ राजीव गांधी ने थिम्फू में भूटान की नेशनल असेम्बली में शानदार भाषण दिया और ताकतवर देशों पर आरोप लगाया कि वे विश्व में तनाव फैलाकर विकासशील

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

देशों को अपना जो धन देश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने के लिए खर्च करना चाहिए वही धन गोला बारूद और अस्त्र–शस्त्रों पर खर्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राजीव गांधी ने अपने भाषण में परमाणु विनाश की ओर भी इशारा किया।[13]

8 दिसम्बर, 1985 को जब ढ़ाका में सार्क की स्थापना की गई तो भूटान को भी इसमें शामिल किया गया और एक घोषणा की गई जिसे सार्क घोषणा कहते हैं जिस पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुसैन इरशाद, भूटान के नरेश जिग्मे सिंगये वांग्चुक, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया–उल–हक, नेपाल के नरेश बिरेन्द्र शाह, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने और मालदीव के राष्ट्रपति मौमून गयूम के हस्ताक्षर हैं। [14]

भूटान आरम्भ से ही सार्क के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया है और स्वास्थ्य, कृषि और डाक सेवाओं में बढ़–चढ़कर भाग ले रहा है। 1985 में ही भूटान ने एक बार फिर भारत के विरूद्ध जाकर अणु अप्रसार संधि (छच्ज्) पर हस्ताक्षर किये। उस समय भूटान सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भूटान बौद्ध धर्म को मानने वाला देश होने के कारण परमाणु अप्रसार का समर्थन करता है।[15]

- 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तीन दिन की भूटान यात्रा की। इस यात्रा में भूटान की कई विकास योजनाओं को हरी झण्डी दी गई।
- अक्टूबर, 1988 में राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने भूटान नरेश की उपस्थिति में चूखा पनबिजली परियोजना का शुभारम्भ किया।
- वर्ष 1990 में भूटानी नरेश ने तीन बार भारत यात्राएं की।
- अगस्त, 1993 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव भूटान गए। जहां उन्होंने वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर का लाभ उठाने के लिए भारतीय कम्पनियों के भूटान में निवेश पर समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- भूटानी नरेश ने दक्षिण एशियाई विकास कोष (।क्थ्) स्थापित करने का सुझाव दिया था जिसे सार्क के 1995 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।
- भूटान नरेश मई, 1997 में भारत आये और ताला पनबिजली परियोजना और डुगसुग सीमेण्ट परियोजना पर व्यापक करार किए गए।
- 1997 में भूटान के राजतंत्र के विरोध में उग्र लोकतांत्रिक आन्दोलन आरम्भ हुआ। भूटान में लोकतंत्र आन्दोलन के समर्थक नेता डी.बी. लामीटोर ने भूटानी नरेश पर नरसंहार के कई आरोप लगाये और उनको भी भाग कर हरिद्वार आना पड़ा। इस आन्दोलन के दौरान भूटान की सीमा में रह रहे हजारों भारतीय मूल के गछारी जाति के लोगों का पलायन भारत की तरफ हुआ।
- 1997 में ही चीन ने भारत–भूटान–चीन ट्राइजंक्शन पर एक सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- भूटान नरेश ने 14 सितम्बर, 2003 को पाँच दिवसीय भारत यात्रा की। दोनों देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पुनात सांगयू जल विद्युत परियोजना सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- 2003 से आगे के कुछ समय में रॉयल भूटानी आर्मी ने आसाम के उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (छक्थ्ठ) और कामनपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (ज्ञस्व्) जैसे आतंकवादी संगठनों पर कठोर कार्यवाही की।

भारत–भूटान नवीन मैत्री संधि (2007)

भारत और भूटान ने 8 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित समारोह में नई मैत्रो संधि पर हस्ताक्षर किये जो वर्ष 1949 की मैत्री संधि का स्थान लेगी। इस संधि पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांग्चुक और विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने हस्ताक्षर किये। [16]

इस नवीन संधि में यह उल्लेख है कि भारत और भूटान के बीच स्थायी शांति और मैत्री होगी। इसमें ऐसे प्रावधानों को हटा दिया गया है जो अप्रचलित हो गए थे। इसमें पारस्परिक और दीर्घकालिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और उसके विस्तार, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षेत्रों में सहयोग के नए प्रावधान शामिल है। इसमें दोनों देशों के नागरिकों के साथ व्यवहार अथवा विद्यमान मुक्त व्यापार में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं है। भारत–भूटान नवीन मैत्री संधि पर हस्ताक्षर होने से भूटान के पंचक ड्रक ग्यालपो (नरेश) जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक के योगदान को काफी महत्व दिया जाता है।[17]

जेएनयू में दक्षिण एशिया केन्द्र की प्रो. सबिता पांडे कहती है – ''1949 में भारत और भूटान के बीच जो संधि हुई उसमें 2007 में संशोधन किया गया। संशोधन से पहले इस संधि में था कि भूटान सभी तरह के विदेशी मामलों में भारत को सूचित करेगा। संशोधन के बाद इसमें जोड़ा गया कि जिन विदेशी मामलों में भारत सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होगा, उन्हीं में उसको सूचित किया जाएगा।''[18] वह आगे कहती हैं ''भारत और भूटान के बीच यह संधि चीन को हमेशा खटकती रही है। भूटान और चीन के बीच जो वार्ता है उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है हालांकि भारत का हित प्रभावित होगा तो उसमें भूटान को सूचित करना होगा।[19]

- 16–17 मई, 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान यात्रा पर गए।
- 28–29 अप्रेल, 2010 में 16वां दक्षेस शिखर सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्फू में आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी भाग लिया। इसमें भी भारत–भूटान के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई।
- प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने अपनी प्रथम विदेश यात्रा भूटान से आरम्भ की। मोदी 15–16 मई, 2014 को भूटान गए। इस यात्रा में मोदी ने भारत के सहयोग से बने भूटान में नवनिर्मित सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया और भूटान से आईटी और डिजिटल सेक्टर में कई समझौते किए।[20] मोदी के इस यात्रा को मीडिया में भूटान को पटाने की कोशिश संज्ञा दी गई।[21] अपनी इस यात्रा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

के दौरान मोदी ने भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगयू पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी।[22]

भारत–भूटान सहयोग –

(1) जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग –

(प) कुरीछू पनबिजली परियोजना (60 मेगावाट)

(पप) ताला पनबिजली परियोजना (170 मेगावाट)

(पपप) चूखा पनबिजली परियोजना (336 मेगावाट)

भारत और भूटान के बीच सहयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र पनबिजली है। यह क्षेत्र दोनों में आपसी सम्बन्धों का केन्द्र बिन्दु है और भूटान की जीडीपी में इसका सबसे बड़ा योगदान है। दोनों देशों के बीच इस बारे में पहला समझौता 1961 में हुआ जिसमें जलढ़ाका नदी के पानी से पनबिजली बनाने की बात थी।[23] चूखा पनबिजली परियोजना 1987 में आरम्भ हुई।

2009 में दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह सहमति बनी कि भारत 2020 तक भूटान को 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने में सहयोग करेगा तथा उससे बिजली खरीदेगा।[24]

अप्रेल, 2014 में दोनों देशों ने एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों देश पनबिजली क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी पर सहमत हुए। इसमें खोलोन्गचू, बुनाखा, बांग्चू और चामरवारचू परियोजनाएं शामिल हैं।[25]

(2) भारत–भूटान व्यापारिक सम्बन्ध –[26]

भारत–भूटान को उसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1961 से आज तक की सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक सहयोग कर रहा है।

भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र है।

भारत–भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर प्रथम समझौता 1972 में हुआ जो हर 10 वर्ष बाद पुनरावलोकित किया जाता है। इस सम्बन्ध में आखिरी बार पुनरावलोकन 5–6 जुलाई, 2016 में किया गया और अगला 2026 म होगा।

भारत–भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्तमान में बेलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में है। वर्ष 2015 के अनुसार भूटान ने भारत से 53.74 बिलियन नू (भूटानी करेंसी) का आयात किया जबकि भारत को निर्यात (पन बिजली सहित) 31.80 बिलियन नू है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत भूटान को डीजल, हाइड्रोलिक टारबाइन के पुर्जे, लौह उत्पाद, पेट्रोल, कोयला, सीमेण्ट, ऑटो मोबाईल, केमिकल, रबड़ प्लास्टिक, कृषि उत्पाद आदि निर्यात करता है। जबकि भूटान से पनबिजली, लकड़ी इत्यादि आयात करता है।

भारत–भूटान के आर्थिक सम्बन्ध बहुपक्षीय प्रकृति के भी हैं। भारत और भूटान दोनों उपक्षेत्रीय सहयोग संगठन ठप्डैज्म् के सक्रिय सदस्य है। यह संगठन दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग का एक प्रभावी मंच प्रदान करता हे। इसमें अतिरिक्त दोनों देश सार्क में भी सदस्य हैं तथा 2006 में सार्क द्वारा लागू मुक्त व्यापार क्षेत्र का लाभ दोनों देशों को प्राप्त हो रहा है। भारत द्वारा 2008 में घोषित नीति के अनुसार भारत ने सभी अल्पविकसित देशों के आयात को निःशुल्क सुविधा प्रदान की है, जिसका लाभ भूटान को भी प्राप्त हो रहा है।[27]

बौद्ध धर्म के कारण भारत–भूटान के बीच प्राचीन काल से ही घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं। 2003 में इन सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत–भूटान फाउण्डेशन की स्थापना की गई है। इस फाउण्डेशन का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए सितम्बर, 2010 में थिम्फू में नेहरू–वांग्चुक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई है।[28]

इसी तरह दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत द्वारा कोलम्बो योजना और प्ज्ण्म्ण्व् (इन्डियन टेक्निकल एण्ड इकॉनोमिक कॉ–ओपरेशन) कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूटान को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत भूटान के छात्रों को भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 50 छात्रवृतियां प्रदान करता है।[29]

प्रोजेक्ट दंतक – ऊजा, आधारभूत संरचना और सामरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा चलाये जा रहे प्रोजेक्ट दंतक की भी भूटान–भारत सम्बन्धों में अहम भूमिका है। इसके अन्तर्गत भारत ने भूटान में लगभग 1800 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है। इसी प्रोजेक्ट क तहत पारो और यांगफुला में हवाई पट्टियों, हैलीपैड, दूरसंचार नेटवर्क, माइक्रोवेव लिंक, भूटान में आकाशवाणी स्टेशन, इण्डिया हाउस बिल्डिंग, हाइड्रो पॉवर स्टेशन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि का निर्माण किया गया है। वर्ष 1961 में आरम्भ किया गया प्रोजेक्ट दंतक विदेश में भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है।

भूटान में लोकतंत्र की स्थापना –

वर्ष 2008 से भूटान में संसदीय संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और पहली बार वहां संसद के लिए चुनाव हुए। इस हेतु भूटान में नया संविधान बनाया गया है। नरेश वांग्चुक ने भ्टान में प्रकाशित होने वाले एकमात्र अखबार कुएन्सेल को बताया ''देश की सम्प्रभुता, स्थिरता और खुशहाली को बाकी चीजों से ऊपर जगह मिलनी चाहिए। देश नरेश से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं।''[30] 2008 के पहले चुनावों में पांच वर्ष बाद 2013 एवं 2018 में भी चुनाव हुए ह। इन चुनावों में भारत

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, Jan- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन चुनावों के लिए भारत ने हैदराबाद और बेंगलुरू में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तैयार कर भूटान को दी।

सन्दर्भ

1- Ruht Padel : Tigers in Red Weather : A Quest for the Last wind Tigers, Bloomsburry Pub.l 2009, P-139-140

2. बी.एल. फड़िया : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2006 पृष्ठ 335

3- Treaty of Friendship between India and Bhutan, refworld.org

4- Yadav Lal Babu : Indo-Bhutan Relations and China Interventions, Anmol Pub. 1996, P-163

5. लोकसभा वाद–विवाद द्वितीय सीरिज पृष्ठ 672, 28 सितम्बर, 1959

6. सन्दर्भ 4 का पृष्ठ 69–70

7. डॉ. रामदेव भारद्वाज : भारत और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2005 पृष्ठ 360

8. वही उपरोक्त

9. रूपनारायण झा : भारत–भूटान सम्बन्ध 1947–1997 य्नि. बुक हाउस, जयपुर, 1998 पृष्ठ 103–104

10. ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम : भारत की विदेश नीति, मयूर पेपर बैक्स 2004 पृष्ठ 164

11. मिश्रा चतुर्वेदी : दक्षिण एशिया में भूटान पाइंटर पब्लि. जयपुर, 1996 पृष्ठ 164–165

12. पवन कुमार : भारत की विदेश नीति, ओमेगा पब्लि. नई दिल्ली, 2006 पृष्ठ – 54

13. सन्दर्भ 7 का पृष्ठ 184

14. सार्क सचिवालय की वेबसाइट

15- Debamitra : Indo-Bhutan Relations : Political Process Conflict and Crisis, Academic Excellence, 2010 P-238

16- BBC NEWS HINDI, 8 Qjojh] 2007

17. विदेश मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट, 8 फरवरी, 2007

18. रजनीश कुमार : ठठ॰ छमैं भ्प्छक्प 17 अगस्त, 2017

19. वही उपरोक्त

20. द हिन्दू, 20 जून, 2014

21. न्यू एशिया, 4 जून, 2014

22. इण्डिया, 15 जून, 2014

23. रॉयल भूटान दूतावास, नई दिल्ली की वेबसाइट
24. वही उपरोक्त
25. वही उपरोक्त
26. वही उपरोक्त
27. अरूणोदय वाजपेयी : समकालीन विश्व एवं भारत, पियर्सन, 2012 पृष्ठ 82
28. वही उपरोक्त
29. वही उपरोक्त
30. BBC NEWS HINDI, 27 मार्च] 2005